भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5562

06 अप्रैल, 2022 के लिए प्रश्न

एनएफएसए के लाभार्थी

5562. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

श्री डी.के. सुरेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों की एक अलग सूची बनाई है जो किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं;

(ख) यदि हाँ, तो देश में, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के संदर्भ में, एनएफएसए के राज्य और जिला-वार कुल कितने लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि बड़ी संख्या में लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि लक्षित लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): सरकार, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) प्रणाली कार्यान्वित कर रही है, जो देश में लगभग 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) के लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों, को खाद्यान्नों के उठान के समय बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल समर्थित अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपने मौजूदा/उसी राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टिबिलिटी के जरिए देश में कहीं भी अपनी खाद्य सुरक्षा संबंधी पात्रताओं तक निर्बाध रूप से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सशक्त करती है। इस प्रकार, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली के तहत किसी उचित दर दुकान (एफपीएस) से खाद्यान्नों का उठान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थियों की कोई अलग सूची तैयार नहीं की जाती है।

.........2/-

(ख): वर्तमान समय में, इस अधिनियम के तहत 79.73 करोड़ लाभार्थी कवर किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत कर्नाटक राज्य में कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख में)

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)		प्राथमिकता वाले परिवारों में लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या
परिवारों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या		
10.97	43.91	358.02	401.93

इस अधिनियम के तहत कवर किए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जिले-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग): यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अन्तर्गत अत्यधिक सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत तक ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत तक शहरी आबादी की कवरेज की व्यवस्था करता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई अर्थात् 81.35 करोड़ आबादी कवर की जाती है। इस अधिनियम के तहत कवरेज काफी व्यापक है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समाज के सभी वंचित और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने और लक्षित लाभार्थियों के बीच इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए प्रसिद्ध संस्थाओं को मॉनीटरिंग संस्थान (एमआई) के रूप में काम पर लगाया है। रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि लाभार्थी उचित मात्रा में और उचित मूल्य पर नियमित रूप से अपनी मासिक पात्रता के खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों की प्रशंसा की गई है। यह विभाग मॉनीटरिंग संस्थाओं द्वारा दिए गए सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समवर्ती मूल्यांकन को नियमित रूप से साझा करता है।

******

अनुबंध

लोक सभा में "एनएफएसए लाभार्थियों" के संबंध में दिनांक 06.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5562 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएसए के तहत चिह्नित परिवारों/व्यक्तियों की संख्या (लाख में)			
		एएवाई		प्राथमिकता वाले परिवारों में व्यक्तियों की संख्या	कुल व्यक्ति
		परिवारों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या		
1	आंध्र प्रदेश	9.08	23.52	244.70	268.22
2	अरूणाचल प्रदेश	0.38	1.50	6.90	8.40
3	असम	6.92	28.08	223.08	251.17
4	बिहार	25.01	125.05	746.11	871.16
5	छत्तीसगढ़	7.19	20.42	180.35	200.77
6	दिल्ली	0.69	2.81	69.97	72.78
7	गोवा	0.12	0.46	4.86	5.32
8	गुजरात	7.98	36.19	308.96	345.15
9	हरियाणा	2.68	11.35	115.14	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	1.82	7.67	20.98	28.64
11	झारखंड	9.18	45.90	218.36	264.25
12	कर्नाटक	10.97	43.91	358.02	401.93
13	केरल	5.96	25.59	129.21	154.80
14	मध्य प्रदेश	14.81	57.28	425.31	482.58
15	महाराष्ट्र	25.05	108.01	592.16	700.17
16	मणिपुर	0.64	1.82	18.15	19.97
17	मेघालय	0.70	2.91	18.54	21.46
18	मिजोरम	0.26	0.82	5.86	6.68
19	नागालैंड	0.48	2.11	11.94	14.05
20	ओडिशा	12.58	38.08	286.07	324.15
21	पंजाब	1.79	7.71	133.80	141.51

22	राजस्थान	6.29	22.29	417.72	440.01
23	सिक्किम	0.17	0.55	3.24	3.79
24	तमिलनाडु	18.65	68.60	296.10	364.69
25	तेलंगाना	5.67	15.29	176.33	191.62
26	त्रिपुरा	1.10	4.98	19.85	24.83
27	उत्तर प्रदेश	40.91	131.16	1356.28	1487.44
28	उत्तराखंड	1.84	7.92	54.02	61.94
29	पश्चिम बंगाल	16.42	54.99	546.85	601.84
30	अंडमान एवं निकोबार	0.04	0.14	0.46	0.61
31	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	0.05	0.24	2.78	3.02
32	लक्षद्वीप	0.01	0.04	0.18	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0.00	0.01	2.74	2.75
34	पुदुचेरी (डीबीटी)	0.25	0.81	5.42	6.24
35	जम्मू एवं कश्मीर	2.33	10.61	61.80	72.41
36	लद्दाख	0.06	0.29	1.15	1.44
कुल		238.05	909.09	7063.41	7972.50

******